न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 254/2025
अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान

प्रार्थी – 1. अमलूराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुजासर (भूणिया) तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. अणदाराम 2. रतनाराम 3. पीराराम पि. रामलाल 4. पारूदेवी पत्नी रामलाल 5. आसुराम 6. बाबूलाल 7. मंगलाराम पि. हुकमाराम 8. केसी पत्नी हुकमाराम 9. प्रभूराम पुत्र अनाराम 10. रेखाराम 11. वागाराम पि. दुर्गाराम 12. खेताराम 13. नारणाराम पि. चुनाराम 14. चम्पादेवी पत्नी चुनाराम 15. पनीदेवी पत्नी हनुमानराम 16. तुलसाराम 17. धर्माराम पि. पदमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुजासर (भुणिया) तहसील धनाऊ 18. शाखा प्रबंधक बीएलडीबी जिला बाड़मेर 19. तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा
विप्रार्थी वकील – श्री आईदानराम विप्रार्थी सं. 1 से 8
श्री जगदीश पोटलिया विप्रार्थी सं. 9 से 15

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.03.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा छछी बेरी पटवार हल्का भूणिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 864/717 रकबा 6.8068 हैक्टेयर की आई हुई है, उक्त भूमि में प्रार्थी का 3/20 हिस्सा खातेदारी में बनता है। प्रार्थी व उसके भाई हुकमाराम ने खातेदार खेता, भागीरथ पि. रामू से उनके 2/5 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे के दिनांक 11.10.2006 को खरीदी थी, जिसमें 1/5 हिस्सा प्रार्थी का एवं 1/5 हिस्सा हुकमाराम के वारिसान विप्रार्थी सं. 5 से 8 का बनता था लेकिन बाद में प्रार्थी ने आंशिक भूमि विप्रार्थीगण को बेचान कर ही शेष वर्तमान में प्रार्थी का 3/20 हिस्सा खातेदारी में बनता है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त व रहवासी ढाणिया, पशुबाड़े आदि बने हुए है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का हिस्सा सही नही है। सही हिस्सा 3/20 है जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड ऑनलाइन करते वक्त प्रार्थी का 1/15

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी का हिस्सा गलत दर्ज होने से प्रार्थी को राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने में काफी परेशानियां आ रही है। इसलिये प्रार्थी अपना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी व विप्रार्थी सं. 9 से 15 की ओर अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया द्वारा वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी सं. 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने तथा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की गई। विप्रार्थी सं. 9 से 15 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी के साथ–साथ विप्रार्थी सं. 9 का 3/80 हिस्सा, विप्रार्थी सं. 10 से 11 का प्रत्येक का 3/160–3/160 व विप्रार्थी सं. 12 से 14 प्रत्येक 1/80–1/80 व विप्रार्थी सं. 15 का 3/80 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण हिस्सा दुरूस्त किये जाने से संबंधित है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट न मंगवाकर प्रार्थी के आवेदन व जवाब को स्वीकार करते हुए हिस्सा दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा छछी बेरी पटवार हल्का भूणिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 864/717 रकबा 6.8068 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/15 की जगह सही हिस्सा 3/20 हिस्सा तथा विप्रार्थी सं. 9 का 3/80 हिस्सा, विप्रार्थी सं. 10 से 11 का प्रत्येक का 3/160–3/160 व विप्रार्थी सं. 12 से 14 प्रत्येक 1/80–1/80 व विप्रार्थी सं. 15 का 3/80 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार हिस्सा दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:16 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन